

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या- 2769 /चार -2022
लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर ,2022

कार्यालय ज्ञाप

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं उसके संबद्ध अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदेश व देश में आयोजित एवं प्रायोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:-

क्र म सं0	विधा	कलाकार/ दल की श्रेणी	सदस्य संख्या	मानदेय एकमुश्त	यात्रा भत्ता
1.	पुरस्कार	उ 0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/बेगम अख्तर पुरस्कार प्राप्त कलाकार/टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	05-07	70,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष एयर इकोनॉमी किराया अनुमन्य। अन्य- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कार एवं अन्य राज्य स्तरीय शासकीय पुरस्कार व ए ग्रेड (ए०आई०आर०/डी०डी०)	05-07	55,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य। अन्य- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./डी.डी.)	05-07	45,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		गैर श्रेणीगत / अन्य कलाकार	05-07	30,000/- से 40,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
2.	लोक गायन एवं लोक वादन	उ 0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/बेगम अख्तर पुरस्कार प्राप्त कलाकार/टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./डी.डी.)	05-07	70,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष एयर इकोनॉमी किराया अनुमन्य। अन्य- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष

					<ul style="list-style-type: none"> • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
	बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कार एवं अन्य राज्य स्तरीय शासकीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार।	05-07	55,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य। अन्य- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा। 	
	बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	05-07	45,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी./एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य। अन्य- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा। 	
	गैर श्रेणीगत / अन्य कलाकार	05-07	30,000/- से 40,000/-	दल प्रमुख- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष अन्य- शयनन्यान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा। 	
3. लोकनृत्य	केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/ बेगम अख्तर पुरस्कार प्राप्त अथवा प्रदेश स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार/टॉप ग्रेड श्रेणी (डी.डी.)	12-15	75,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अन्य- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा। 	
	उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत कलाकार/बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कार प्राप्त अथवा अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कार प्राप्त कलाकार अथवा प्रदेश स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार एवं ए-ग्रेड श्रेणी (डी.डी.)	12-15	60,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा। 	
	बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (डी.डी.) एवं अन्य शासकीय पुरस्कारों के दृष्टिगत	12-15	50,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा। 	

	गैर श्रेणीगत/अन्य कलाकार	12-15	30,000/- से 40,000/-	दल प्रमुख- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष अन्य- शयनयान श्रेणी अथवा समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।	
4.	शास्त्रीय एकल नृत्य रिकार्ड्ड /एकल नाटक , मूकाभिनय, बहरूपिया आदि	उ ०प्र० संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/ बेगम अख्तर पुरस्कार उ०प्र० प्राप्त कलाकार/टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	03-05	50,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी./इकोनॉमी श्रेणी एयर का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य। अन्य- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		ए ग्रेड श्रेणी (डी०डी०)/ बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कार से पुरस्कृत कलाकार।	03-05	45,000/-	दल प्रमुख- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (डी.डी.) तथा अन्य शासकीय पुरस्कार के दृष्टिगत	03-05	40,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		गैर श्रेणीगत/अन्य कलाकार	03-05	30,000/- से 40,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
5.	नाटक	केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी / उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार/ अन्य प्रदेशों के सर्वोच्च कला पुरस्कार प्राप्त टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./डी.डी.) निर्देशक कृत नाट्य प्रस्तुति।	15-20	1,00,000/-	दल प्रमुख- प्रथम श्रेणी रेल ए.सी./ एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कार से पुरस्कृत तथा अन्य प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त/ए ग्रेड (ए.आई.आर./डी.डी) निर्देशक कृत नाट्य प्रस्तुति	15-20	75,000/-	दल प्रमुख- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी./एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी) एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतेन्दु नाट्य अकादमी एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षित कलाकार/ निर्देशक कृत नाट्य प्रस्तुति	15-20	60,000/-	दल प्रमुख- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी./ एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।

	गैर श्रेणीगत/अन्य कलाकार	10-25	50,000/-	दल प्रमुख-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष अन्य- शयनयान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।	
6.	कठपुतली/जाड़ी/लुप्तप्राय कला प्रस्तुतियां(एक मुश्त)	उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/ बेगम अख्तर पुरस्कार उ0प्र0 प्राप्त कलाकार/ टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	06-10	70,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी./ इकोनॉमी श्रेणी एयर का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		राज्य स्तरीय एवं अन्य शासकीय पुरस्कार	06-10	55,000 /-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी./ इकोनॉमी श्रेणी एयर का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		गैर श्रेणीगत /अन्य कलाकार	06-10	15,000/- से 30,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
7.	रामलीला/ रासलीला/ नौटंकी/ स्वांग/भगत एवं अन्य लोक नाट्य	केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/ बेगम अख्तर पुरस्कार उ0प्र0 प्राप्त कलाकार/टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	20-25	1,00,000/-	दल प्रमुख- प्रथम श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं बिस्मिला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित कलाकार ए-ग्रेड श्रेणी	20-25	75,000 /-	दल प्रमुख- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी./एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा
		प्रदेश स्तरीय शासकीय पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार/अनुभव के दृष्टिगत/बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	20-25	60,000	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के • अनुसार देय होगा।
8.	नुक्कड़ नाटक	कम से कम दो प्रदर्शन	10-15	15,000/- (प्रदर्शनों की संख्या बढ़ने पर प्रति	दल प्रमुख-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष अन्य-शयनयान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।

			प्रदर्शन रु0 5,000/- अनुमन्य (होगे)	
9.	विशिष्ट श्रेणी	शास्त्रीय संगीत/ नृत्य/ नाट्य/वादन/ सुगम-संगीत / लोक संगीत , नृत्य एवं लोक नाट्य कलाकार दल एवं संस्थान द्वारा जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपनी एक विशिष्ट पहचान अर्जित की हो।	7-15 1,00,000/ - से 2,00,000/ -	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी./एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
10	अतिविशिष्ट श्रेणी	ऐसे विशिष्ट कलाकार जिन्होंने पद्म पुरस्कार/केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार/राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एवं उसके समकक्ष राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त साथ ही कला क्षेत्र व सिनेमा क्षेत्र के जन-जन में लोकप्रिय कलाकार जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई हो।	07-15 2,00,000/ - से 5,00,000/ -	वास्तविक रेल टिकट ए.सी. अथवा इकोनॉमी श्रेणी का किराया अनुमन्य अथवा उसके समकक्ष तथा आवश्यक होने पर टैक्सी का अपटूर्सी की दरों पर किराया देय। <ul style="list-style-type: none"> भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
11.	एकल कला प्रदर्शन	ऐसे कलाकार जो स्वयं के स्तर पर एकल प्रदर्शन करते हो जैसे-शंख वादन , ढोल वादन, नगाढ़ा वादन, नक्कारा वादन, रणसिंघा वादन मंत्रोच्चारण आदि		तृतीय श्रेणी रेल ए.सी./ शयनयान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		स्थानीय कार्यक्रम	01-02 5,000/-	
		प्रादेशिक कार्यक्रम	01-02 10,000/-	
		राष्ट्रीय/विशिष्ट कार्यक्रम	01-02 20,000/-	
12.	उद्घोषक/ए कर	स्थानीय कार्यक्रम	01 5,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी./ शयनयान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		प्रादेशिक कार्यक्रम	01 10,000/-	
		राष्ट्रीय/विशिष्ट कार्यक्रम	01 20,000/-	तृतीय/द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष <ul style="list-style-type: none"> भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।

नोट:-

(1) यदि उच्च स्तरीय निर्देशों के अनुक्रम में उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त फिल्म/ कला/ साहित्य जगत से जुड़े अतिविशिष्ट/ ख्यातिलब्ध कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है, तो निर्देशों के अनुपालन में आयोजित

एवं प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु गठित समिति की संस्तुति पर उच्च स्तरीय बैठक तथा शासन स्तर से स्वीकृति के पश्चात ही उनके मानदेय का निर्धारण किया जायेगा।

(2) यदि उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणी/पुरस्कार प्राप्त कलाकार के साथ कोई संगतकार भी समकक्ष श्रेणी पुरस्कार प्राप्त है, तो उनके मानदेय पर उच्च स्तर से अलग से विचार किया जा सकता है।

(3) क्रमांक- 01 से 07 तक निर्धारित कलाकारों की संख्या से अधिक कलाकार बढ़ने पर मूल मानदेय का 10 प्रतिशत प्रति कलाकार अधिकतम अनुमन्य होगा।

(4) उपर्युक्त उल्लिखित मानदेय अधिकतम है, आवश्यक होने पर निगोशिएशन के आधार पर अधिकतम से कम एक मुश्त मानदेय निर्धारित किया जा सकता है।

(5) अतिविशिष्ट एवं ख्यातिलब्ध कलाकारों के आवास, भोजन एवं स्थानीय परिवहन की व्यवस्था आयोजक द्वारा की जायेगी।

(6) यदि कलाकार अपरिहार्य परिस्थितियों में अल्पावधि/ताकालिक सूचना पर बुलाया गया है तो उसे अपटूर्स की दरों पर टैक्सी का किराया अनुमन्य होगा।

(7) कलाकारों/ लोक कलाकारों/ रामलीला दल/ नौटंकी दल/ लोकनृत्य/ नाट्य दल/ कठपुतली/ जाड़/ नुक्कड़ नाटक आदि के कलाकारों को स्थानीय आवास रु 900/- एवं भोजन रु 0 500/- अर्थात कुल धनराशि रु 0 1400/- प्रतिदिन प्रति कलाकार को देय होगी। यदि विभाग द्वारा आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाती है तो कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

(8) 12 घण्टे से अधिक की यात्रा पर भोजन भत्ता रु0 500/- देय होगा। यदि विभाग द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है तो कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

(9) स्थानीय एवं बाह्य प्रस्तुतियों के लिए एक समान मानदेय निर्धारित है, किन्तु प्रदेश के बाहर प्रस्तुति के लिए जाने पर मूल मानदेय से 20 प्रतिशत अधिक मानदेय पर विचार किया जा सकता है। स्थानीय का आशय संबंधित कलाकार के निवास स्थान से होगा।

(10) वृद्ध/ विकलांग कलाकारों के साथ आने वाले एक सहयोगी को उन्हीं की अनुमन्य श्रेणी का किराया देय होगा।

(11) एक ही दल के द्वारा एक से अधिक प्रस्तुति करने पर निर्धारित मानदेय का 50 प्रतिशत प्रति प्रस्तुति देय होगा।

(12) यदि उपरोक्त से भिन्न मानदेय/किराया अपेक्षित हो तो प्रस्ताव पर शासन/ सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(13) उपरोक्त व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु त्रैमासिक रूप से संस्कृति निदेशालय द्वारा शासन स्तर से अनुमोदनोपरान्त धनराशि रु 0 30,00,000/- लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान में लोक कलाकारों हेतु तथा शास्त्रीय एवं अन्य विशिष्ट कलाकारों हेतु धनराशि रु 0 30,00,000/- संगीत नाटक अकादमी के खाते में रखा जाना प्रस्तावित है।

(14) प्रस्तुति हेतु कलाकार आमंत्रित किये जाने पर 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम आर 0 टी 0 जी 0 एस 0/ एन 0 ई 0 एफ 0 टी0 अथवा नेट बैंकिंग के द्वारा कलाकार के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्यक्रम प्रस्तुति के उपरान्त उसी दिन चेक/ड्राफ्ट किया जाना होगा।

(15) यदि कोई कलाकार 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु आने में असमर्थता प्रकट करता है तो ऐसी स्थिति में कलाकार को अग्रिम दी गयी धनराशि को आने वाले अगले कार्यक्रम में समायोजित कर लिया जायेगा।

(16) यदि कोई कलाकार लगातार तीन बार अग्रिम राशि लेने के उपरान्त प्रस्तुति हेतु असमर्थता प्रकट करता है, तो उसे संस्कृति विभाग में प्रस्तुति हेतु ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा एवं उपलब्ध करायी गयी अग्रिम धनराशि पर 18.5 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ वसूली की जायेगी।

(17) किसी एक कलाकार को एक वित्तीय वर्ष में सामान्यतः तीन बार से अधिक आयोजित-प्रायोजित कार्यक्रमों में अनुबन्धित नहीं किया जायेगा। यह नियम संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त इकाईयों पर लागू होगा। तीन कार्यक्रम की गणना संस्कृति विभाग के सभी निदेशालयों/इकाईयों के कार्यक्रमों को जोड़

कर की जायेंगी। कलाकार के उपलब्ध न होने के कारण कार्य की तालिका आवश्यकता एवं गुणवत्ता के दृष्टिगत अधिक कार्यक्रम दिये जाने पर शासन स्तर से विचार किया जा सकता है। शोभायात्रा को निर्धारित संख्या में नहीं गिना जायेगा।

(18) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुतियों में ICCR के अनुमोदित कलाकार/ ICCR के कार्यक्रम में प्रस्तुति कर चुके कलाकार एवं सरकारी विभागों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे चुके कलाकारों को प्राथमिकता दी जायेगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शासकीय प्रस्तुति की संख्या शासन के निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी।

(19) दूरदर्शन आकाशवाणी से श्रेणी प्राप्त कलाकार एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज कार्यक्रम से चयनित कलाकार तथा विभागीय गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विभाग में पंजीकृत कलाकारों को उनके ऑडीशन एवं प्रमाण पत्र आदि के आधार पर टॉप ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के अनुसार 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

(20) कलाकार दल श्रेणी में कलानुभव से आशय दिये जा रहे कार्यक्रम से पूर्व के कला प्रस्तुतिकरण के कम से कम 03 वर्षों के अनुभव से है।

(21) किसी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई की स्थिति में शासन को संदर्भित करते हुए संबंधित कठिनाई का निराकरण किया जा सकता है।


भवदीय

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मार्ग मंत्री, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, संस्कृति/संग्रहालय/पुरातत्व निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, समस्त स्वायत्तशासी संस्थान, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव